न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **135/21 (वाद)**

GCMS No. : 2021/266

1. सुरेश डांगी (माता प्रताबी पिता भमरू जी डाँगी, निवासी सागवा पिता श्री धर्माजी डागी, उम्र–वयस्क, निवासी–ओडवाडिया, तहसील–मावली, जिला उदयपुर (राज.)

............वादी

बनाम्

1. श्रीमती देवली (पुत्री भमरू डांगी) पत्नी श्री लाला जी डांगी, निवासी–सिलो का गुडा, तहसील–नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. हकमी (पुत्री भमरू डांगी) पत्नी श्री कन्ना जी डांगी, निवासी–सांगवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.),
3. सवागी (पुत्री भमरू डांगी) पत्नी श्री लोरार जी डांगी, निवासी–रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.).
4. नकारी (पुत्री भमरू डांगी) पत्नी श्री श्यामलाल जी डांगी, निवासी–घासा मंडी की मंगरी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. कंकुडी (पुत्री भमरू डांगी) पत्नी श्री हुकमीचन्द्र जी डांगी, निवासी–विलोता, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.)
6. रोडी (पुत्री भमरू डांगी) पत्नी श्री नरेश डांगी, निवासी–आवलियों का कुंआ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.).
7. पपुड़ी (पुत्री भमरू डांगी) पत्नी श्री धर्मा जी डांगी, निवासी–भैंसडा कला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. गोपाला पुत्र स्व. शिव गिरी महाराज, निवासी सविना, तहसील–गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. उदयलाल पिता गमाना डांगी, निवासी–रायमगरी, तहसील–बडगांव, जिला उदयपुर (राज.)
10. भुमिधारी तहसीलदार जरिये तहसीलदार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
11. डालचन्द पिता नारू डांगी निवासी सांगवा तहसील घासा जिला उदयपुर।
12. खेमा पिता डूंगा डांगी निवासी सांगवा तहसील घासा जिला उदयपुर।
13. बाबूलाल पिता हीरा डांगी निवासी सांगवा तहसील घासा जिला उदयपुर ।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:13 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 26.11.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सांगवा, पटवार मण्डल सांगवा, भू–अभिलेख निरीक्षक खेमली तहसील मावली हाल घासा की निम्नांकित भूमि इस प्रकार स्थित है कि परिशिष्ट ''क'' आराजी नम्बर 249, 251, 832, 833 किता 4 कुल रकबा 9.9311 हैक्टेयर भूमि, परिशिष्ट ''ख'' आराजी नम्बर 291, 300, 301, 304, 305, 97, 99 किता 7 कुल रकबा 1.5781 हैक्टेयर भूमि, परिशिष्ट ''ग'' आराजी नम्बर 88, 89, 90, 91 किता 4 कुल रकबा 1.8130 हैक्टेयर भूमि स्थित है। मृतक खातेदार का मूल पुरूष भमरू फौत के वारिसान देवली, हकमी, सवागी, प्रताबी, नकारी, कंकुडी, रोडी, पपुडी है। जिनमें पुत्री प्रताबी का निधन आज से करीब 15 वर्ष पूर्व हो चुका उसके एक पुत्र सुरेश पिता धर्मा जी डांगी जो वादी है। भमरू डांगी का भी निधन हो चुका है।
2. यह कि उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 7 तक के मौरूस के समय की होकर मौरूसी जायदाद है जिसमें वादी की माता प्रताबी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक का बराबर बराबर हिस्सा निहित है वादी की माता के निधन के बाद उसका हिस्सा वादी में निहित हो गया। लेकिन भमरू पिता नंदा डांगी के निधन के बाद उक्त आराजीयात की भूमि अकेले प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक राजस्व अभिलेख में नामान्तरण हो गई जबकि मृतक खातेदारी भमरू पिता नंदा डांगी के नाम पर दर्ज भूमि में उनकी सभी पुत्रीयों का यानि वादी की माता प्रताबी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक बराबर बराबर हक हिस्सा है जिससे वादग्रस्त आराजीयात की भूमि में भमरू पिता नंदा डांगी के हिस्से में दर्ज भूमि में वादी का 1/8 हक हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक प्रत्येक का भी 1/8, 1/8 हक हिस्सा बनता है तथा इसी हक हिस्सेनुसार वादी व प्रतिवादीगण भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।
3. यह कि खातेदार भमरू पिता नंदा डांगी के निधन के बाद उक्त वर्णित आराजीयात की भूमि में उनके नाम का सम्पूर्ण हक हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण ने हल्का पटवारी व नामान्तरकरण अधिकारियों से मिलीभगत कर मृतक खातेदार भमरू पिता नंदा डांगी के [illegible] की उक्त वर्णित आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक अपने नाम [illegible] नामान्तरित करवा ली जबकि वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:13 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित आराजीयात की भूमि में वादी की माता प्रताबी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक की मौरूसी जायदाद है, जिससे वादी की माता का उक्त वाद वर्णित आराजीयात की भूमि में जन्म से ही हक हिस्सा निहित है तथा वादी की माता प्रताबी के निधन के बाद उनका हिस्सा वादी में निहित हो गया।

4. यह कि इस तरह परिशिष्ट ''क'' में वर्णित आराजीयात में भमरू पिता नंदा डांगी 1/4 हिस्से के खातेदार थे जिससे वादी की माता का 1/32 वां हक हिस्सा, परिशिष्ट ''ख'' में वर्णित आराजीयात में भमरू पिता नंदा डांगी का 1/2 हिस्सा होने से वादी की माता का 1/16 वां हक हिस्सा तथा परिशिष्ट ''ग'' में वर्णित आराजीयात में भमरू पिता नंदा डांगी का 1/64 वा हक हिस्सा होने से वादी की माता का 1/512 हक हिस्सा बनता है वादी की माता के निधन के बाद उक्त हिस्सा वादी में निहित हो गया। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का हक हिस्सा वादग्रस्त आराजीयात की भूमि में नहीं है उनके नाम पर राजस्व अभिलेख में भूमि नुमाईशी विक्रय पत्र से गलत दर्ज हो गई है। जो बिना अधिकार के होकर अवैध है तथा ऐसा नुमाईशी विक्रय पत्र तथा राजस्व अभिलेख में किया गया इन्द्राज वादी के हक हिस्से तक अवैध होकर शुन्य है।

5. यह कि प्रतिवादीगण राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज के आधार पर वाद वर्णित आराजीयात की भूमि को किसी भी तरिके से किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित, विक्रय एवं खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा वादी को मौके से बेदखल करने का असफल प्रयास कर रहे है जबकि वाद ग्रस्त भूमि वादी की मौरूसी जायदाद होकर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का अपनी माता के निधन के बाद कानूनन हिस्सा निहित हो गया जिससे वादी का प्रथम दृष्टया केस है तथा सुविधा संतुलन भी वादी के पक्ष में है। चुकि प्रतिवादीगण वाद वर्णित आराजी की भूमि को किसी तरह हस्तान्तरित, खुर्द बुर्द या वादी को बेदखल कर देते है तो वादी के खातेदारी अधिकार प्रभावित होगे जिससे मुकदमें बाजी में गुणात्मक वृद्धि होगी तथा वादी को अपूरणीय क्षति होगी।

6. यह कि वाद कारण दिनांक 13.07.2021 को उत्पन्न हुआ जब वादी ने खाते की नकल प्राप्त की तब जानकारी प्राप्त हुई कि सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गई है तथा यह बात वादी ने प्रतिवादीगण को कही तो उन्होने वादी को धमकी [illegible] तेरे करना जो कर लेना उसके बाद वाद विरूद्ध प्रतिवादी[illegible] लगातर ज[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:13 IST
Reason: SelfAttested

7. अंत में निवेदन किया की वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी सादर फरमाई जावे की परिशिष्ट ''क'', ''ख'', ''ग'' में वर्णित आराजीयात की भूमि में वादी को क्रमशः 1/32 वां हिस्सा, 1/64 वां हिस्से, तथा 1/512 हक हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वो वादग्रस्त भूमि को किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित, विकय व खुर्द बुर्द नही करे तथा वादी को अपने हिस्से की भूमि में शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे एवं मौके व रिकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 9, 11 से 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रतिवादी संख्या 10 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा।

9. अधिवक्ता वादी एकतरफा दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए वादी के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

10. हमने अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2050—53 के खाता संख्या 201 पर दर्ज आराजी नम्बर 249, 251, 832, 833 किता कुल रकबा 61 बीघा 7 बिस्वा भूमि खातेदार भमरू पिता नंदा के नाम 1/4 हिस्से से दर्ज थी तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज था। इसी प्रकार खाता संख्या 200 पर दर्ज आराजी नम्बर 88, 89, 90, 91, 97, 99, 291, 300, 301, 304, 305 किता 11 कुल रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा भूमि खातेदार भमरू पिता नंदा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज थी तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। प्रकरण में विवाद केवल मात्र खातेदार भमरू पिता नंदा के हिस्से तक है। खातेदार भमरू पिता नंदा डांगी के निधन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि विरासत का नामान्तरकरण संख्या 841 राजस्व कर्मचारियो द्वारा पारित कर प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम दर्ज की गई, परन्तु वादी द्वारा वाद पत्र की कल[illegible] 2 में बताए गए सजरे अनुसार खातेदार भमरू पिता [illegible] डांगी के [illegible] पुत्रियां थी। उक्त सजरे ताईद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pindadia
Date: 2025.12.05 11:29:13 IST
Reason: SelfAttested

विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2450 करता है। क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 2450 भमरू पिता नंदा डांगी की पत्नी हीरा के निधन के पश्चात पारित किया गया था। जिसमें भमरू पिता नंदा डांगी की कुल 7 पुत्रियों के नाम एवं एक पुत्री प्रताबी बाई का निधन हो जाने से उसके पुत्र वादी का नाम अंकित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा बताया गया सजरा सही है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 841 में केवल मात्र 7 पुत्रियों एवं पत्नी का नाम ही अंकित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादी की माता का नाम इसमें अंकित नही किया गया।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत यदि किसी खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसमें निहित सम्पूर्ण भूमि उसके प्रथम श्रेणी के वारिस में निहित होती है। इस प्रकरण में भी खातेदार भमरू पिता नंदा डांगी के निधन के पश्चात उसके प्रथम श्रेणी के वारिस उसकी सभी पुत्रियों एवं पत्नी में निहित हुई, परन्तु राजस्व कर्मचारियों एक पुत्री का नाम अंकित नही कर भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। न्यायालय का यह भी मानना है कि खातेदार भमरू पिता नंदा डांगी के निधन के पश्चात उसकी सात पुत्रियों एवं पत्नी के नाम दर्ज होने के पश्चात पुत्रियों द्वारा अपने हिस्से से भूमि का विक्रय कर दिया गया। जिससे वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार के रूप नए खातेदारो के नाम दर्ज हो गए। वादग्रस्त भूमि का कुल रकबा 82 बीघा 6 बिस्वा में मृतक खातेदार भमरू का हिस्सा 25 बीघा 16 बिस्वा भूमि बनता है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा बनता है। यदि अब सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में से वादी को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तो क्रेता खातेदार का भी हक प्रभावित होगा। इसलिए सभी क्रेता खातेदारो का हक प्रभावित करना न्यायोचित नही है। ग्राम सांगवा की वर्तमान नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 219 पर दर्ज आराजी नम्बर 291, 300, 301, 304, 305, 97, 99 किता 7 कुल रकबा 1.5781 हैक्टेयर भूमि में ही केवल मात्र 6 पुत्रियों का हिस्सा शेष रहा है तथा अन्य आराजीयात में सभी पुत्रियो द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि का विक्रय कर दिया गया है। उक्त आराजीयात में भी एक पुत्री द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 को विक्रय कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत निहित है परन्तु सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:13 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात में हिस्सा नही दिया जाकर वर्तमान में पुत्रियों एवं एक खातेदार प्रतिवादी संख्या 12 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि से ही दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है जिससे की अन्य खातेदार प्रभावित नही हो। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 219 पर दर्ज आराजी नम्बर 291, 300, 301, 304, 305, 97, 99 किता 7 कुल रकबा 1.5781 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 से 7, 12 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है, के बजाय वादी को 1/3 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 से 7 प्रत्येक को 1/42—1/42 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 12 को 11/21 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. सुरेश डांगी (माता प्रताबी पिता भमरू जी डाँगी, निवासी सागवा) पिता श्री धर्माजी डागी, उम्र–वयस्क, निवासी–ओडवाडिया, तहसील–मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती देवली (पुत्री भमरू डांगी) पत्नी श्री लाला जी डांगी, निवासी–सिलो का गुडा, तहसील–नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. हकमी (पुत्री भमरू डांगी) पत्नी श्री कन्ना जी डांगी, निवासी–सांगवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.),
3. सवागी (पुत्री भमरू डांगी) पत्नी श्री लोरार जी डांगी, निवासी–रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.).
4. नकारी (पुत्री भमरू डांगी) पत्नी श्री श्यामलाल जी डांगी, निवासी–घासा मंडी की मंगरी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. कंकुडी (पुत्री भमरू डांगी) पत्नी श्री हुकमीचन्द्र जी डांगी, निवासी–विलोता, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.)
6. रोडी (पुत्री भमरू डांगी) पत्नी श्री नरेश डांगी, निवासी–आवलियों का कुंआ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.).
7. पपुड़ी (पुत्री भमरू डांगी) पत्नी श्री धर्मा जी डांगी, निवासी–भैंसडा कला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. गोपाला पुत्र स्व. शिव गिरी महाराज, निवासी सविना, तहसील–गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. उदयलाल पिता गमाना डांगी, निवासी–रायमगरी, तहसील–बडगांव, जिला उदयपुर (राज.)
10. भुमिधारी तहसीलदार जरिये तहसीलदार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
11. डालचन्द पिता नारू डांगी निवासी सांगवा तहसील घासा जिला उदयपुर।
12. खेमा पिता डूंगा डांगी निवासी सांगवा तहसील घासा जिला उदयपुर।
13. बाबूलाल पिता हीरा डांगी निवासी सांगवा तहसील घासा जिला उदयपुर ।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 135/21 (वाद) GCMS No. – 2021/266

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:13 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 219 पर दर्ज आराजी नम्बर 291, 300, 301, 304, 305, 97, 99 किता 7 कुल रकबा 1.5781 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 से 7, 12 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है, के बजाय वादी को 1/3 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 से 7 प्रत्येक को 1/42–1/42 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 12 को 11/21 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.11.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:13 IST
Reason: SelfAttested